

परिपत्र

पत्रांक ३०२२ / आयु०क०उत्तरा० / विधि—अनुभाग / वाणिज्य कर / ०८—०९ / देहरादून।

कार्यालयः—आयुक्त कर उत्तराखण्ड
(विधि—अनुभाग)

देहरादूनः दिनांक ॥, दिसम्बर, २००८

समस्त डिप्टी कमिशनर, वाणिज्य कर
समस्त असिस्टेंट कमिशनर, वाणिज्य कर
समरत वाणिज्य कर अधिकारी।

शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या—६९२/XXII(८)/वाणिज्य कर (वैट) / २००८ दिनांक ०५—१२—२००८, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, २००५ अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा खरीफ गार्केटिंग सीजन (क०एम०एस०), २००८—०९ के दौरान धान की खरीद के लिये नियत समर्थन मूल्य (एम०एस०पी०) के अतिरिक्त दी जाने वाली प्रोत्साहन बोनस की धनराशि पर कोई कर उद्ग्रहित नहीं किया जायेगा। ऐसे धान से निर्मित चावल की बिक्री पर भी प्रोत्साहन बोनस की राशि की सीमा तक कोई कर उद्ग्रहणीय नहीं होगा से अवगत कराया गया है।

उक्त अधिसूचना आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शासन के दिशा—निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना / करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न—उपरोक्तानुसार।

।
(एल०एम०पन्त)
आयुक्त कर

उत्तराखण्ड, देहरादून।

प०प०सं० ३०२२ / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १— प्रमुख राचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- २— महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्ड्रा नगर देहरादून।
- ३— अध्यक्ष / सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून / हल्द्वानी।
- ४— एडिशनल कमिशनर, वाणिज्य कर गढ़वाल जौन देहरादून / कुमाऊँ जौन लद्दपुर।
- ५— एडिशनल कमिशनर (आडित) / (प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।

१००

फृ. न० : २२०३/२२०४

दt. : १६-२-०८

- 6— समरत ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यो) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 7— ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी।
- 8— ज्वाइंट कमिश्नर (पिंडनु०शा०/प्र०) वाणिज्य कर हरिद्वार/रुद्रपुर।
- 9— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसार देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
- 10— पोर्टल प्रबन्धक उत्तरा पोर्टल जी०ओ०य० परियोजना कार्यालय आई०आई०टी० रुडकों।
- 11— रांख्या-अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई-मेल द्वारा प्रेषित कर दे।
- 12— इन्टावैट ईन्फो प्रा० लि० 4, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13, आर० सिधुआ मार्ग मुम्बई-400001।
- 13— नेशनल लॉ हाउस बी-2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड गाजियाबाद।
- 14— नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस-15/5 राजनगर गाजियाबाद।
- 15— लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेवट्रट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाब।
- 16— कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।
- 17— विधि-अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

17/12/2008
आधुक्त कर
उत्तराखण्ड, देहरादून।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग
सं० /XXVII(8) /वाणिज्य कर (वैट) /2008
दिनांक: देहरादून: दिसम्बर ५, 2008

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है:-

अतएव, अब, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (6), सपष्टित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल सहर्ष आदेश करते हैं कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा खरीफ मार्केटिंग सीजन (के०एम०एस०), 2008-09 के दौरान धान की खरीद के लिये नियत समर्थन मूल्य (एम०एस०पी०) के अतिरिक्त दी जाने वाली प्रोत्साहन बोनस की धनराशि पर कोई कर उद्ग्रहित नहीं किया जायेगा। ऐसे धान से निर्मित चावल की बिक्री पर भी प्रोत्साहन बोनस की राशि की सीमा तक कोई कर उद्ग्रहणीय नहीं होगा।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या-६९२ /XXVII(8) /वाणिज्य कर(वैट) /2008 तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रुड़की को उपरोक्त अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित इस आशय से प्रेषित कि इनको उत्तराखण्ड गजट में प्रकाशित करके इसकी 250-250 प्रतियां वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा रो
C.J.Jewaria
(सी०एस०सेमवाल)
अप० सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 692 /XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/ 2008 dated 5 December, 2008 for general information.


Government of Uttarakhand
VITTA VIBHAG
NO. 692 /XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2008
Dehradun :: Dated: : 5 December, 2008

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest,

NOW, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to order that with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, no tax shall be levied on the incentive bonus amount to be paid by the Government of India, Department of Food & Public Distribution for procurement of paddy during Kharif Marketing Season (K.M.S.) 2008-09 over and above the procurement price (M.S.P.) fixed for the purchase of paddy. No tax shall also be levied on sale of rice manufactured from such paddy to the extent of incentive bonus amount.

By Order,



(ALOK KUMAR JAIN)

PRINCIPAL SECRETARY FINANCE